राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2016/00203

अपील संख्या 112/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1— गोरधन पुत्र श्री विनय सिंह जाति जाट निवासी नगला वक्ता तहसील नदबई जिला भरतपुर।

———————अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

2— तहसीलदार महोदय नदबई।

———————रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई भरतपुर मु0 न0 36/2015 उनवानी गोरधन बनाम राज.सरकार

उपस्थिति :— वकील अपीलांट श्री सुरेश चंद गुप्ता एड़0

वकील रेस्पो. श्री रविन्द्र सिंह फौजदार(राजकीय अधि0)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 04.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 498 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम नगला वक्ता तह0नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय मे धरा 175 के प्रार्थना पत्र पर मैरिट के आधार पर निर्णय नही हुआ था और अपीलांट से कब्जा भी नही लिया था। चूंकि बिना कब्जा लिये आराली को सिवायचक दर्ज कर दिया गया था और अधोनस्थ

न्यायालय का पूर्व आदेश मैरिट पर आधारित नही था बल्कि दावा पेश करने की अनमति के साथ मे वापस लिया गया था। अधोनस्थ न्यायालय ने पूर्व न्यायालय के आधार पर दावा खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मैरिट के आधार पर वाद को निर्णित करने हेतु अधोनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बचाव मे राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधोनस्थ न्यायालय ने सहो तरीके से निर्णय पारित किया है और मैरिट के आधार पर भी अपीलार्थी का वाद स्वीकार योग्य नही है। अतः अपील खारिज की जाकर अधोनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली से स्पष्ट है कि पूर्व वाद न्यायालय की अनुमति से विड्रा किया गया है। और नया वाद लेने की अनुमति भी दी गई है। अतः पूर्व वाद मैरिट पर निस्तारित न हाने के कारण प्रकरण पूर्व न्याय से वर्जित नही है।

उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मैरिट के आधार पर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 4.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2006/00101
अपील संख्या 93/2006 (223 आर.टी.एक्ट)
उनवान

1.मुस0 श्यामा पत्नी निक्कूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

2.लालसिंह (मृतक)

2/1 लक्ष्मीदेवो वेवा लालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

2/2 लेखराजसिंह पुत्र लालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

2/3 कप्तानसिंह पुत्र लालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

3. मुख्त्यारसिंह पुत्र निक्कूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

4.मु0 उर्मिलादेवी पत्नी पूरनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

5. कुमारी नीलम नावालिग पूत्री पूरनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

6.मानवेन्द्रसिंह पुत्री पूरनसिंह नावालिग बाविलायत माता उर्मिलादेवी खुद जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

7. हरविन्दरसिंह पुत्री पूरनसिंह नावालिग बाविलायत माता उर्मिलादेवी खुद जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

8. कु0 ज्योति पुत्री पूरनसिंह नावालिग बाविलायत माता उर्मिलादेवी खुद जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

9.हरीसिंह पुत्र निक्कूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

10.मु0 रामश्री पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

11. मानसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

12.चन्दनसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

13. बालकिशन पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

14.सन्तोषसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
15. मुस0महेन्द्री पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
16.मुस0अमरदेई पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
17.मु0 लक्ष्छो पत्नी बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
18. अर्जुनसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
19.मंगलसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
20.वीरेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
21.गीमा पुत्री बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
22.कमलेश पुत्री बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
23.माया पुत्री बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।
24.सुनोता पुत्री बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम

1.श्रीमती केशवकुमारी पत्नी लक्ष्मनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
2. इन्द्रजीतसिंह पुत्र लक्ष्मनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
3. श्रीमती हरेन्द्रकौर उर्फ लीला पत्नी निरजंनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
4. कु0 लक्ष्मी पुत्री निरंजनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
5. कु0 ज्योति पुत्री निरंजनसिंह नावालिग जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
6. हेमन्तकुमार उर्फ लाली पुत्र निरंजनसिंह नावालिग जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
7. कु0 गौरी पुत्र हरेन्द्रकौर माता खुद जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
8. हरगोविन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मनसिंह (मृतक)
8/1 .ऋषिराज पुत्र स्व0 हरगोविन्दसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर
8/2. शशिराज पुत्र स्व0 हरगोविन्दसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
8/3. राजकुमारी पत्नी हरगोविन्दसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला

भरतपुर।
9. श्रीमती उमाकुमारी पुत्री लक्ष्मनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
10. श्रीमती चन्द्रकुमारी पुत्री लक्ष्मनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
11. श्रीमती सुरेन्द्रकुमारी पुत्री लक्ष्मनसिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

—————————रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2006 न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर मु0 न0 92/2004 उनवानी निक्कूसिंह बनाम केशवकुमारी

यह अपील ....14.....................माह.......12.............सन्.......2017.........व हमारे ...श्री महाराज सिंह डागुर एड0.... मिनजानिब अपीलाण्ट व् श्री प्रमोद कुमार उपमन् एड0......रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि. अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील...............का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग...............................

....)रूपये..................

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........**14**...........माह**.......12**......सन्.....

.....**2017**.........को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।